ok

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक– 160 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 12-07-2017.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
कनहर निर्माण खण्ड,
तृतीय, पिपरी सोनभद्र।

विषयः– जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर का पत्रांक–5818/मीरजापुर/33, दिनांक 30.06.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–60/11–सी FP/UP/IRRIG/20269/2016 लखनऊ, दिनांक जुलाई 07, 2017.

महोदय,

अवगत कराना है कि कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को प्रेषित किया गया था, जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक–5818/मीरजापुर/33, दिनांक 30.06.2017 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ द्वारा परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव के ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियां पायी गयीः–

1- प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 ग्राम का रंगीन टोपोशीट संलग्न है, किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड अंकित नहीं है।
2- प्रस्ताव में वृक्षों की संलग्न सूची में कोन रेंज की दो वृक्ष की सूची संलग्न नहीं है तथा पृष्ठ संख्या–371 पर वृक्षों की संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित है।
3- वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गई मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
4- प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map के0एम0एल0 फाइल शेष की सी0डी0 संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।
5- प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्वता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
6- प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की बचनबद्वता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नही है।
7- ईको–क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आंगणित की गई है। अतः रू0 626000/–प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें।
8- गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

–पेज 2 पर–

9- मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नही हैं।

10- गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण की दशा में भू–स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न करें।

11- आनलाईन भाग–2, क्रमांक–02 में Legal Status Section-4 फीड किया गया है जबकि प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित Legal Status फीड करें।

12- आनलाईन भाग–2, क्रमांक–03 District wise area to be diverted in the division में Nil फीड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः विवरण फीड करें।

13- आनलाईन भाग–02 में हरियाली घनत्व 0.02 व हार्डकॉपी भाग–2 में 0.1 फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान हरियाली घनत्व अंकित करें।

14- आनलाईन भाग–02 में प्रभावित वृक्षों को त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है। अतः प्रस्ताव में संलग्न सूचीं के अनुसार वृक्षों की संख्या आनलाईन फीड करें।

15- आनलाईन भाग–02, क्रमांक–5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है। अतः क्रमांक–5 में The area is covered under plantation working circle of the working plan तथा क्रमांक–6 में The area is not vulnearable to soil erosion फीड करें।

16- आनलाईन भाग–2, Additional information details में कोई प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

17- आनलाईन भाग–2 District Profile में हार्डकापी के अनुसार पूर्ण विवरण फीड नहीं है।

18- प्रस्ताव में ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित कुल 2928 वृक्षों की सूचीं संलग्न है किन्तु कुछ प्रमाण पत्रों में 2630 वृक्ष अंकित किये गये है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान वृक्षों की सूचीं संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं में उल्लिखित कमियों/आपत्तियो को निराकरण करते हुए, संशोधित समेकित प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अवलोकन हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–60/11–सी FP/UP/IRRIG/20269/2016 लखनऊ , दिनांक जुलाई 07, 2017 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या 160 **अ/समदिनांकित।**

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अपने कार्यालय के किसी प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से विषयक प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्राप्त करने का कष्ट करें।

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C

F:\New Folder\AM-3.Docx

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 60 / 11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016 लखनऊ, दिनांकः जुलाई 07, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक-5818 / मिर्जापुर / 33, दिनांक-30.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा रेनुकूट एवं ओबरा वन प्रभाग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्ड कापी में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैः-

- रेनुकूट वन प्रभाग

1- प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है, किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड अंकित नहीं है।

2- प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैरवनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्वता संलग्न है किन्तु उस पर वृक्षों की संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित है।

3- प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-337 पर संलग्न प्रमाण पत्र में वृक्षों की संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित की गई है।

4- प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 एवं Co-ordinates संलग्न नहीं है।

5- प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि पर 08 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है कृपया प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुए आनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।

6- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map एवं के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।

7- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न है किन्तु शीर्षक व लीजेण्ड अंकित नहीं है।

8- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है एवं वृक्षों की संख्या गलत अंकित है।

9- प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्वता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

10- ईको-क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आंगणित की गई है। अतः रू0 626000/- प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें।

11- गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

12- मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

13- गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण की दशा में भू-स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न करें।

14- आनलाईन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.3 व हार्डकापी में 0.1 फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान अंकित करें।

15- आनलाईन भाग-2, कमांक-5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है। अतः कमांक-5 में The area is covered under plantation working circle of the working plan तथा कमांक-6 में The area is not vulnearable to soil erosion फीड करें।

16- आनलाईन भाग-2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

17- आनलाईन भाग-2 District Profile में पूर्ण विवरण फीड नहीं है।

18- प्रस्ताव में रेनुकूट वन-प्रभाग से सम्बन्धित कुल 18282 वृक्षों की सूचीं संलग्न है किन्तु कुछ प्रमाण पत्रों में 18241 वृक्ष अंकित किये गये है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान वृक्षों की सूचीं संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।

19- नहर के संरेखण एवं कास सेक्शन सम्बन्धी प्रमाण पत्र की अपठनीय छायाप्रति संलग्न है। अतः मूल प्रति संलग्न करें।

20- पूर्ण परियोजना से सम्बन्धित Catchment area treatment plan संलग्न नहीं है।

21- पूर्ण परियोजना से सम्बन्धित जरिटफिकेशन टिप्पणी संलग्न नहीं है।

22- भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परियोजना का लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं है।

ACY-1225

• ओबरा वन प्रभाग:–

1– प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है, किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड अंकित नहीं है।

2– प्रस्ताव में वृक्षों की संलग्न सूची में कोन रेन्ज की दो वृक्ष की सूची संलग्न नहीं है तथा पृष्ठ संख्या–371 पर वृक्षों की संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित है।

3– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

4– प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।

5– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

6– प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

7– ईको–क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आंगणित की गई है। अतः रु0 626000/– प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें।

8– गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

9– मलवा उत्सार्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

10– गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण की दशा में भू–स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न करें।

11– आनलाईन भाग–2, कमांक–02 में Legal Status Section–4 फीड किया गया है जबकि प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित Legal Status फीड करें।

12– आनलाईन भाग–2, कमांक–3 District wise area to be diverted in the division में Nil फीड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः विवरण फीड करें।

13– आनलाईन भाग–2 में हरियाली घनत्व 0.02 व हार्डकापी भाग–2 में 0.1 फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान हरियाली घनत्व अंकित करें।

14– आनलाईन भाग–2 में प्रभावित वृक्षों को त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है। अतः प्रस्ताव में संलग्न सूची के अनुसार वृक्षों की संख्या आनलाईन फीड करें।

15– आनलाईन भाग–2, कमांक–5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है। अतः कमांक–5 में The area is covered under plantation working circle of the working plan तथा कमांक–6 में The area is not vulnearable to soil erosion फीड करें।

16– आनलाईन भाग–2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

17– आनलाईन भाग–2 District Profile में हार्डकापी के अनुसार पूर्ण विवरण फीड नहीं है।

18– प्रस्ताव में ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित कुल 2928 वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु कुछ प्रमाण पत्रों में 2630 वृक्ष अंकित किये गये है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान वृक्षों की सूची संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।

उपरोक्त दोनो वन प्रभागों में इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात, संशोधित समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी वन्य० कमला आर०आर०कर

179
33
11-07-17

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्र०व०अ० ओबरा 11/07/2017

संख्या–60 /11–सी–FP/UP/IRRIG/20269/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY-1226

O/c